



# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001



मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

## निविदा - सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020 -21 के लिये फार्म में लगे बाग के अन्दर कृषक क्रियाएं जैसे पौधों में खाद डालकर गुणाई करना, दवा का छिड़काव, सिंचाई व ट्रेनिंग/प्रूनिंग आदि कार्य तथा नर्सरी में होने वाले विभिन्न कार्य जैसे पालीथीन बैग्स भरना, निराई गुणाई, बीज निकालना, बुवाई करना व रूट स्टोक तैयार करना व ग्राफटेड पौध तैयार करना आदि कार्य ठेके में कराने के लिए दर निर्धारण हेतु मोहर बन्द निविदाएं दिनांक 28.02.2020 को आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	विवरण	क्षेत्रफल (हे०)	धरोहर राशि (रु०)
1	बाग		5000.00 (पाँच हजार )
	पुराना बाग	55.00	
	नया बाग	15.00	
2	नर्सरी	4.0	5000.00 (पाँच हजार )

उपरोक्त दिनांक को बाग व नर्सरी में होने वाले विभिन्न कार्यों का ठेका 31.03.2021 तक के लिए निविदाएं दिनांक 28.02.2020 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन शाम 3.00 बजे खोली जाएगी। इच्छुक व्यक्ति/फर्म आदि निविदा व खुली बोली में भाग लेने हेतु उपरोक्त धरोहर राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लि०**, देय हिसार के नाम हो, फार्म के खजांची के पास जमा कराना होगा। ड्राफ्ट के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। धरोहर राशि 1 व 2 के लिए अलग-अलग जमा करना होगा। यदि किसी कारण वस दर का निर्धारण नहीं हो पाता है तो अगली प्रस्तावित तिथि दिनांक 04.03.2020 व 18.03.2020 को उन्हीं नियम व शर्तों पर पुनः कराई जायेगी। असफल ठेकेदार को धरोहर राशि बिना ब्याज के चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेण्डर फार्म) किसी भी कार्य दिवस में रु० 100/- व 18% जी.एस.टी. देकर/जमा कर फार्म कार्यालय के उद्यान अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं। तथा निगम की वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है।

**सहायक प्रबन्धक (उत्पादन )**

कृते फार्म प्रमुख

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

## वर्ष 2020-21 में बाग व नर्सरी के विभिन्न कार्यों को ठेके में कराने के के लिये नियम व शर्त -

- 1- खुली बोली/निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम एक पहचान पत्र जैसे इडेंटिफिकेशन लाइसेंस, खेत का खसरा खतौनी व वोटर आइड, आदि व पैनकार्ड, प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार के नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके ।
- 2- ठेके के लिए धरोहर धन राशि रू0 5000/=पाँच हजार का डी0डी0 जो राष्ट्रीय बीज निगम लि0 हिसार के नाम देय हो, फार्म के खंजाची के पास जमा करना होगा । धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी ।
- 3- निविदादाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस होने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
- 4- सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा ।
- 5- निविदादाता द्वारा दी गयी शर्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
- 6- निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फैंक्स व पत्र/ई मेल मान्य नहीं होगा ।
- 7- समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से संबंधित न हो, उसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा । ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म अधिकारी द्वारा निश्चित किया जुर्माना अदा करना होगा तथा/अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसको फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है । इस दशा में समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जाएगी ।
- 8- फार्म में असम्बन्धित गतिविधियां कार्य-कलापों व्याधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग नहीं करेगा । यदि कोई टैक्स/चुंगी या कोई भी कर लगता है तो उसका प्रबंध/ठेकेदार को स्वयं ही अपने खर्च पर करना होगा ।
- 9- किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान व किसी ठेकेदार के श्रमिक को किसी भी प्रकार जैसे चोट लगना, सांप काटना आदि से नुकसान/हानि होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
- 10- कार्य की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा आवश्यकता समझे जाने पर ठेका निरस्त किया जा सकता है ।
- 11- ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है । ऐसा करने पर ठेकेदार/वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे ।
- 12- ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार द्वारा जमा कराई गई सभी राशि जब्त कर ली जाएगी ।
- 13- निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र/राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी । अपूर्ण पते के अभाव में यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोली दाता के पास तक नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेदार नहीं होगी ।
- 14- फार्म अधिकारी को निविदा/बोली को बिना कारण बताए अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
- 15- यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म अधिकारियों को अधिकार होगा कि ठेके को निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट 'काली सूची' कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दें ।
- 16 - ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे पौधे ढोने के लिए, कस्सी, व टोकरी इत्यादि लाने होंगे ।
- 17 - खण्ड में चक प्रभारी व हैड गार्ड की देखरेख में यह कार्य करना होगा । बिल का भुगतान चक प्रभारी, / उद्यान कर्मचारी द्वारा पौधों की गिनती करके किया जाएगा जिसके लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है । श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार स्वयं करेगा ।
- 18 - कार्य करते समय ठेकेदार व उसके किसी श्रमिक को अगर कोई जान माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 19 - दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा प्रदान किये गये रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया/कराया जाएगा ।
- 20 - ठेकेदार को रूप्पे 100/- मात्र स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा । यह कार्य आदेश मिलने के सात दिन के अन्दर अनुबंध करना होगा ।
- 21 - किसी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर मामले को राष्ट्रीय बीज निगम लि0 के माननीय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादन हेतु पेश किया जायेगा जिनका फैसला अन्तिम होगा व दोनों पक्षों को मान्य होगा । फिर भी विवाद होने पर न्याय क्षेत्र 'हिसार' ही मान्य होगा ।

**सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)**

कृते फार्म प्रमुख

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

## केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

### वर्ष 2020-21में नर्सरी में होने वाले कार्य की नियम व शर्तें

- 1--नर्सरी में निराई गुड़ाई – नर्सरी के अन्दर घास व खरपतवार आदि को खुरपी से निराई करनी होगी तथा निकाले गये घास व खरपतवार को *एकत्र* कर बताये गये कम्पोस्ट गड्ढे में डालना होगा ।
- 2 -फल तोड़ना इकट्ठा करना व बीज निकालना -दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार बाग से फल तोड़ना व इकट्ठा करना तथा बीज निकालकर जमा करना होगा ।
- 3 . पोलीथीन बैग में तैयार रूट स्टाक को जमीन में लगाना – गोबर की खाद दवाई इत्यादि फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । बेड व सिंचाई की नाली बनाकर उपरोक्त रूट स्टाक को जमीन में 6' से 9 इंच पर लगा कर प्रथम सिंचाई करनी होगी ।
- 4 -पोलीथीन बैग सहित रूट स्टाक को मदर प्लांट के पास लगाना – नेट हाउस/अन्यत्र तैयार रूट स्टाक की ढुलाई कर मदर प्लांट के पास ग्राफिटिंग के लिए लगाना होगा ।
- 5 . जमीन पर लगे ग्राफिटड पौध की खुदाई/पैकिंग– जमीन में लगे ग्राफिटड पौध की अच्छी प्रकार से खुदाई कर फूस काटकर, लाकर पैकिंग करनी होगी तथा ट्रक / ट्रैक्टर ट्राली में लोड करना होगा ।
- 6 . पालीथीन बैग में लगे ग्राफिटड पौध की खुदाई/पैकिंग – पोलीथीन बैग में लगे ग्राफिटड पौध को बेड से निकाल कर करके ट्रक/ ट्रैक्टर ट्राली में लोड करनी होगी ।
- 8 - पोलिथीन बैग्स में लगे पौधों की शिफ्टिंग करना –पालिथीन बैग्स में लगे पौधों को व अन्य बैग्स को बेड बनाकर दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर शिफ्ट करना होगा ।
- 9 - मातृ पौधों के थाले की सफाई व गुड़ाई- मातृ पौधों के के पास खर पतवार साफ कर के गुड़ाई करना होगा ।
- 10 - पॉलिथीन बैग्स भरना -बेड बनाना व मिट्टी में गोबर की खाद व दिये गये दवाई को मिलाकर भर कर लाईन से दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर बेड बनाकर बेड में लगाना होगा ।

नोट -काम की मात्रा घट - बढ़ सकती है ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन )  
कृते फार्म प्रमुख



# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक - के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020 -21 /

दिनांक-

निविदा भेजने हेतु पता -- उप महा प्रबन्धक (फार्म), 10 कि.मी., सिरसा रोड , केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार 125001

विषय -केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार जिला हिसार के अधिकार में उपरोक्त निविदा / विज्ञप्ति में संदर्भित कार्यों को 31.03.2021 तक ठेके में करने हेतु ।

## निविदा- प्रपत्र

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	इकाई	कार्य की मात्रा	दर ( रुपए में )
1	नर्सरी में निराई गुड़ाई (खुरपी द्वारा )	प्रति वर्ग मीटर	आवश्यकता नुसार	
2	फल तोड़ना इकट्ठा करना व बीज नीकालना ।	प्रति कुंतल	आवश्यकता नुसार	
3	तैयार रूट स्टॉक को पालिथीन बैग्स सहित जमीन में 6-9 ईंच की दूरी पर बेड बनाकर लगाना	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
4	तैयार रूट स्टॉक को ग्राफ्टिंग के लिए मातृ पौध के पास लगाना ।	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
5	जमीन से पौधों की खुदाई कर पैकिंग व लोडिंग करना ।	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
6	पोलिथीन बैग्स में	प्रति पौध	आवश्यकता	

	लगे पौधों की लोडिंग करना ।		नुसार	
7	मातृ पौधों के थाले की सफाई कर ,दिये गये खाद डाल कर गुड़ाई करना ।	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
8	नर्सरी में पोलिथीन बैग्स में लगे पौधों की शिफ्टिंग करना ।	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
9	मातृ पौधों के थाले की सफाई व गुड़ाई करना ।	प्रति पौध	आवश्यकता नुसार	
10	पोलिथीन बैग्स भरना आकार -8*9 ईंच आकार -6*8 ईंच आकार -4*10 ईंच	प्रति बैग प्रति बैग प्रति बैग	आवश्यकता नुसार	

नोट - कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

मोबाईल न .



# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम—मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001



मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक . के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

निविदा भेजने हेतु पता ---उप महा प्रबन्धक (फार्म), 10 कि.मी., सिरसा रोड , केंद्रीय राज्य फार्म,  
हिसार 125001

विषय --

केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार जिला हिसार के अधिकार में उपरोक्त निविदा  
/ विज्ञप्ति में संदर्भित कार्यों को 31.03.2021 तक ठेके में करने हेतु ।

## निविदा- प्रपत्र

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	ईकाई	कितनी बार की जानी है	दर (रु.) में
1	खाद डालना व गुड़ाई करना		आवश्यकतानुसार	
	नया बाग	प्रति पौध		
	पुराना बाग	प्रति पौध		
2	थाले की सफाई व गुड़ाई कराना		आवश्यकतानुसार	
	नया बाग	प्रति पौध		
	पुराना बाग	प्रति पौध		
3	ले-आउट / प्लांटेशन फल दार पौधों का करना	प्रति पौध	आवश्यकतानुसार	
4	रोड व नाली पर लगी / उगी हुई झाड़ियों की सफाई	प्रति वर्ग मीटर	आवश्यकतानुसार	

5 -	फारेस्ट्री व अन्य पौध लगाना-	प्रति पौध	आवश्यकतानुसार	
6	कची व पक्की नालियो की सफाई करना	प्रति मीटर	आवश्यकतानुसार	
7	गोबर की खाद की सप्लाई	प्रति ट्रॉली (150 सीएफटी )	आवश्यकतानुसार	
8	आफिस व पार्क आदि की रख रखाव।	प्रति माह	आवश्यकतानुसार	
9	चूना व तूतिया का घोल बनाकर पौधों के तने पर लगाना	प्रति पौध	आवश्यकतानुसार	

नोट - कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है ।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

पूरा पता

मोबाईल न .

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

## वर्ष 2020-21 में बाग में होने वाले कार्य की नियम व शर्तें

- 1 खाद डालना व गुड़ाई करना - नया बाग में लगे पौधों में 2 मीटर व पुराने बाग में 4 मीटर के पेरीफेरी में सफाई करना तथा दिये व बताये गये खाद मात्रा को पौधों के चारों तरफ डाल कर गुड़ाई करना होगा ।
- 2 थाले की सफाई व गुड़ाई करना- नया बाग में लगे पौधों में 2 मीटर व पुराने बाग में 4 मीटर के पेरीफेरी में सफाई करना तथा गुड़ाई करना होगा ।
- 3 लेआउट / प्लैंटेशन करना -बताये गये स्थान पर रस्सी की मदद से लेआउट करना व गड्ढे की खोदाई 3\*3\*3 फीट की करनी होगी तथा दिये व बताये गये खाद व दवाई की मात्रा मिट्टी में मिलाकर गड्ढे में भरना होगा तथा नर्सरी से पौधे खोद कर ला कर लगाना होगा तथा प्रथम पाट वाटरिंग करना ।
- 4 रोड व नाली पर लगी / उगी हुई झाड़ियों को काटकर फावड़े से सफाई करनी होगी ।
- 5 वानिकी व अन्य पौध लगाना-बताये गये स्थान पर रस्सी की मदद से लेआउट करना व गड्ढे की खोदाई 3\*3\*3 फीट की करनी होगी तथा दिये व बताये गये खाद व दवाई की मात्रा मिट्टी में मिलाकर कर गड्ढे में भरना होगा तथा नर्सरी से पौधे खोद कर ला कर लगाना होगा ।
- 6 कची व पक्की नालियों की सफाई करना -फावड़े की सहायता से मिट्टी व अन्य खर पतवार नाली में से बाहर निकालना होगा ।
- 7 गोबर की खाद की सप्लाई -ट्रैक्टर ट्रॉली व गोबर की खाद (150 सी.एफ.टी.प्रति ट्रॉली ) तथा लोडिंग -अन लोडिंग की ब्यावस्था ठेकेदार को करनी होगी ।
- 8 आफिस व पार्क आदि की रख रखाव , घास तथा खर पतवार की सफाई , पाट वाटरिंग व गमले आदि में लगे पौधों की सिंचाई आदि कार्य करना ।
- 9 चूना व तूतिया का घोल बनाकर पार्थों के तने पर एक मीटर की उचाई तक लगाना - फार्म द्वारा दिये गये चूना व तूतिया का घोल बनाकर पौधों के तने पर 2.5 से 3 फिट उंचाई तक लगाना होगा ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन )

कृते फार्म प्रमुख





# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली- 12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12



संख्या के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

## निविदा प्रारूप

. निविदा विज्ञप्ति क्रमांक . के.रा.फा. /11-20 / उद्यान /2020-21 /

दिनांक-

निविदा भेजने हेतु पता ----

उप महा प्रबन्धक (फार्म), 10 कि.मी., सिरसा रोड , केंद्रीय राज्य फार्म,  
हिसार 125001

विषय --

केंद्रीय राज्य फार्म, हिसार जिला हिसार के अधिकार में उपरोक्त निविदा /  
विज्ञप्ति में संदर्भित कार्यों को 31.03.2020 तक ठेके में करने हेतु ।

1-निविदादाता का नाम .....

2-पिता / पति का नाम .....

3-पूरा पता .....

.....

4-दूर भाष नम्बर .....

5-पैन न०.....

6-पहचान पत्र / आधार कार्ड आदि छाया प्रति संलग्न करें.....

7-निविदा शुल्क ( ) रसीद स०.....

दिनांक.....

अथवा डिमांड ड्राफ्ट न० .....

दिनांक.....

(प्रतिलिपि संलग्न करें )

हस्ताक्षर